

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, दुर्ग

//ज्ञापन//

दुर्ग दिनांक 07/07/2017


क्रमांक 1050/भू-अभि./स.अ.भू.अ./17
प्रति,

आयुक्त
भू-अभिलेख
छ0ग0 नया रायपुर
विषय:- अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशित होने बाबत ।

—00—

विषयांतर्गत छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01.01.2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 7 की धारा 68, 69, 70, 72, 73 एवं सहपठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार तहसील दुर्ग रा0नि0मं0 अंडा प0ह0नं0 43 के ग्राम बोरीगारका के आंतरिक क्षेत्र को अपवर्जित कर करगाडीह को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने संबंधी अधिसूचना का छ0ग0 राजपत्र दिनांक 2 जून 2017 को प्रकाशित किया जा चुका है। राजपत्र की छायाप्रति सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।

संलग्न:- राजपत्र की छायाप्रति।



Sd-

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, दुर्ग

दुर्ग दिनांक 07/07/2017

पृ0क्रमांक 1051/भू-अभि./स.अ.भू.अ. 17
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग को सूचनार्थ।
3. जिला जनगणना अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को सूचनार्थ।
6. उप संचालक कृषि दुर्ग को सूचनार्थ।
7. जिला सांख्यिकी अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ।
8. उप जिला निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग को सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ।
10. अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. तहसीलदार दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। उपरोक्त दोनों ग्राम बोरीगारका एवं करगाडीह के पृथक-पृथक संपूर्ण राजस्व अभिलेख का संधारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र जिला कार्यालय दुर्ग को सूचनार्थ।
14. सहायक प्रोग्रामर कार्यालय भू-अभिलेख दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय रायपुर से संपर्क कर भुइया कार्यक्रम के तहत उक्त दोनों ग्रामों का साफटवेयर में पृथक-पृथक प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर, दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36 पेण्डीतराई	कंदई कोकडी खजरी पेण्डीतराई				36 पेण्डीतराई	कंदई कोकडी पेण्डीतराई

तहसील-पाटन

विद्यमान पटवारी हल्के का		सृजित (प्रस्तावित) नवीन पटवारी हल्के का			सृजन पश्चात् पुराने पटवारी हल्के की स्थिति	
पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	मुख्यालय का नाम	पुराना पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	शेष ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सिरसाकला	सिरसाकला चरोदा देवबलोदा	57	चरोदा	चरोदा	02 सिरसाकला	सिरसाकला देवबलोदा
3 उरला	उरला कुकदा				03 उरला	उरला
4 पाहंदा	पाहंदा परसदा मगरघटा भोथली	58	मगरघटा भोथली	मगरघटा	04 पाहंदा	पाहंदा
42 बीजाभाठा	बीजाभाठा घोरारी झाडमोखली रेंगाकठेरा डिडगा	59 60	परसदा कुकदा रेंगाकठेरा झाडमोखली डिडगा	परसदा रेंगाकठेरा	42 बीजाभाठा	बीजाभाठा घोरारी

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक/52/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./2017.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 7 की धारा 68,69,70,72,73 एवं सहपठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं आर. शंगीता कलेक्टर जिला दुर्ग एतद्वारा तहसील दुर्ग रा.नि.मं. अण्डा प.ह.नं.-43 के ग्राम बोरीगारका के आंतरिक क्षेत्रफल को अपवर्जित कर करगाडीह को पृथक राजस्व ग्राम अधिसूचित करती हूँ.

स. क्र. (1)	भूमि मदवार (2)	करगाडीह (3)
----------------	-------------------	----------------

(1)	(2)	(3)
2.	ग्राम का मकबूजा रकबा	180.912 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	38.850 हे.
4.	आबादी भूमि का रकबा	5.96 हे.
5.	ग्राम की जनसंख्या	1135
6.	मवेशी संख्या	977

उपरोक्तानुसार नवीन ग्राम करगाडीह का क्षेत्रफल ग्राम बोरीगारका से अपवर्जित करने के पश्चात् ग्राम बोरीगारका में निम्नानुसार क्षेत्रफल रहेगा.

स. क्र. (1)	भूमि मदवार (2)	बोरीगारका (3)
1.	ग्राम का रकबा	440.548 हे.
2.	ग्राम का मकबूजा रकबा	361.958 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	78.590 हे.
4.	आबादी भूमि का रकबा	10.66 हे.
5.	ग्राम की जनसंख्या	1391
6.	मवेशी संख्या	1566

आर. शंगीता,
कलेक्टर.